

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-1, कानपुर देहात ।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या: -4536/2026

अनुराग आदि----बनाम----- सरकार

मुकदमा सं० 34097/2024

UPRN04-037043-2026

अपराध सं०-289/2023

धारा-323,504,506 IPC

थाना-रूरा, कानपुर देहात।

दिनांक: 20.08.2026

अभियुक्तगण अमित एवं आदित्य कुमार की ओर से अपराध सं०-289/2023, धारा-323,504,506 IPC, थाना-रूरा, कानपुर देहात में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है। अतः उन्हें जमानत पर छोड़े जाने हेतु याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा आख्या प्रस्तुत कर कथन किया है कि अभियुक्तगण का अपराध अजमानतीय है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित है कि प्रश्रुत प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय को प्राप्त है। अभियुक्तगण का अपराध अजमानतीय है तथा अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर टिप्पणी किये माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था: **Smt Bachchi Devi vs State of UP & Another(Neutral Citation No.2025: AHC:136034)** में दिये गये निर्देशों के आधार पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा बीस हजार रुपये की एक जमानत व उसी धनराशि के मुचलका दाखिल करने पर अभियुक्तगण का जमानत पर रिहा किया जाता है।

(तरुण कुमार अग्रवाल)

ए०सी०जे०एम०, कोर्ट संख्या-1,

कानपुर देहात